न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प दुर्गापुरा

पीठासीन अधिकारी – श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 222/17

1. लुणे खां पुत्र श्री धीरूखां
जाति मुसलमान सा0
बागावास तह0 पचपदरा

बनाम

1. खितरेखां पुत्र कानेखां
2. अलीखां पुत्र कानेखां
3. जमालखां पुत्र अजीजखां
4. महारखां पुत्र अजीजखां
5. हुरमत बेवा अजीजखां
6. रायधनखां पुत्र इमामखां
7. अलादीन पुत्र मुरीदखां
8. सुमानखां पुत्र मुरीदखां
9. ईदेखां पुत्र सोमरखां
10. सलीमखां पुत्र सोमरखां
11. साबीरखां पुत्र सोमरखां
12. काली बेवा सोमरखां सभी जतियान मुसलमान निवासीयान गेमावास (बागावास)
13. माजीखां पुत्र मुबीनखा
14. शेरूखां पुत्र मुबीनखा
15. कमरेखां पुत्र मुबीनखा
16. सलीमखां पुत्र इसाकखां
17. मोहम्मदखां पुत्र मुबीनखा
18. मनीखां पुत्र साफीखां
19. हैदरखां पुत्र साफीखां
20. मोहम्मदखां पुत्र साफीखा
21. लालुखां पुत्र साफीखां
22. भालुखां पुत्र साफीखां
23. सुवटी बेवा साफीखां
24. सरीफ पुत्र हमीरखां
25. रमजान पुत्र हमीरखां सभी जतियान मुसलमान निवासीयान बागावास
26. शाखा प्रबंधक, जे टी जी बी शाखा बगावास
27. शाखा प्रबंधक एस बी बी जे शाखा कल्याणपुर
28. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तह0 पचपदरा

अर्न्तगत धारा 251 ए आर. टी. आर. 1955

निर्णय

दिनांकः 16.5.2018

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाये मार्क डी से ई लाल रंग मे मार्क रास्ता जो चौड़ाई मे 12 फिट हेतु सरहद मौजा बागावास तहसील पचपदरा मे स्थित विप्रार्थीगण की भूमि खेत खसरा नं. 792, 781 व 782 के सेढासेढ होते हुए प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 783 व 784मे प्रवेश होने तक आवागमन हेतु एवं कृषि उपयोग हेतु

(भागीरथ राम)

रास्ता भूमि कटाण घोषित करवाना चाहता है। विप्रार्थीगण मे खेत नम्बर 792, 781 व 782 मे से होते हुए पड़त भूमि व कटाण मार्ग से जुड़ता हुआ मौके पर चालु हालात मे चल रहा है।

इस सम्बन्ध मे जांच तहसीलदार पचपदरा से चाही गई तहसीलदार पचपदरा ने जांच कर रिर्पोट मे अवगत कराया कि ग्राम बागावास खसरा नम्बर 783, 784 मे आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 792 मे से प्रस्तावित कि गई है। जिसका रकबा 0.05 बीघा बनता है। जिसकी वर्तमान डी एल सी दर 17640/— प्रति बीघा होने से भूमि की दुगनी राशि रूपये 8820/— बनती हैं।

हमने कैम्प कोर्ट दुर्गापुरा मे मजमे आम मे पूछताछ की तथा इस सम्बन्ध मे चर्चा कि गई मजमे आम मे बताया कि मौके पर यह रास्ता चल रहा है। खसरा नम्बर 784 मे जाने हेतु नजदीक मे एक मात्र यह रास्ता है।

अतः मौजा बागावास के खसरा नम्बर 729 रकबा 109.01 बीघा मे से 0.05 बीघा नया रास्ता घोषित किया जाता है। प्रभावित रास्ते की भूमि की डी एल सी दर की दुगनी प्रतिफल राशि रूपये 8820/— प्रार्थी खसरा नम्बर 792 के खातेदारान को भुगतान करे। भुगतान न लेने पर तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय मे जमा करावे। रास्ते का रकबा पूर्व खातेदारान के खाते मे यथावत रहेगा तथा प्रस्तावित भूमि का नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.5.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प दुर्गापुरा मे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-20
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

अधिकारी (S.D.O.)
बालोतरा